**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding need to remove the encroachment in and around Ulta Khera Tila and Pandav Tila sites of archaeological importance in Hastinapur in Uttar Pradesh-Laid.

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** हस्तिनापुर स्थित उल्टा खेड़ा टीला एंव पांडव टीला को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1920 के तहत राष्ट्रीय स्मारक स्थल में संरक्षित घोषित किया गया था । प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 2010 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय संरक्षित स्थल के निषिद्ध क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता । परंतु कुछ असामाजिक तत्वों ने इन टीलों पर अतिक्रमण कर लिया है तथा यहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा तंत्र क्रियाएँ करने तथा अवैध निर्माण करने के समाचार भी आए हैं ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के लिए त्वरित कार्यवाही करे ताकि पुरातात्विक महत्व के इन अवशेषों को बचाया जा सके ।